P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-IV **Paper Name- Law of Evidence** **Unit -3**

प्रश्न - प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वतीय साक्ष्य को परिभाषित कीजिए! उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनमे किसी अभिलेख का अस्तित्व दशा व अन्तवस्तु का द्वतीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता हैं ?

उत्तर:- धारा 62. प्राथमिक साक्ष्य (Primary evidence) – प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 1 - जहाँ कि कोई दस्तावेज मूल कई प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

जहाँ कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख (counterpart) में निष्पादित है और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 2 – जहाँ कि अनेक दस्तावेजें एकरूपात्मक प्रक्रिया (one uniform process) द्वारा बनाई गई हैं, एक ही किस्म से तैयार की गई हैं जैसा कि मुद्रण, शिला- मुद्रण या फोटो-चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है किन्तु जहाँ कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियाँ हैं, वहाँ वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं।

कौन दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य है

(i) **जिस दस्तावेज का साक्ष्य दिया जाना है; यदि वह स्वयं पेश किया जाये।** किसी वाद में यदि कोई पक्षकार किसी बात का सहारा लेता है तो यह आवश्यक है कि वह उस दस्तावेज को ही न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश करे। पक्षकार द्वारा दस्तावेज का पेश किया जाना ही दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ- यदि क यह प्राख्यान करता है कि उसने अमुक मकान को ख से एक विक्रय-विलेख द्वारा खरीदा था और उक्त विक्रय सावित करने के लिए वह विक्रय-विलेख पेश करता है तो यह होगा विक्रय का प्राथमिक साक्ष्य।

(ii) जहाँ कोई दस्तावेज कई एक मूल प्रतियों में बनाया जाये, प्रत्येक ऐसी प्रति दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

उदाहरणार्थ- क, ख, ग और घ चार व्यक्ति मिलकर भागीदारी की संविदा करते हैं। वे सब मिलकर एक दस्तावेज तैयार करते हैं; तथा उसकी चार प्रतियाँ बनाई जाती हैं। चारों प्रतियों पर वे सभी भागीदार अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा उसकी एक-एक प्रति अपने पास रख लेते हैं। ये सभी मूल दस्तावेज होने के नाते प्राथमिक साक्ष्य होंगे अर्थात् प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

(iii) जब कई दस्तावेज प्रतिलेख (Counter parts) में बनाये गये हों और एक प्रतिलेख पर एक ने और दूसरे पर दूसरे पक्षकार ने हस्ताक्षर किये हों तो एक प्रतिलेख उस पक्षकार के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा जिसने उस पर हस्ताक्षर किये हों।

धारा 63. द्वितीयक साक्ष्य (Secondary evidence: शहादत नकली) - द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं

(1) एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियाँ (certified copies)।

(2) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं (copies made from original by mechanical process) द्वारा, जो प्रक्रियाएँ स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियाँ तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियाँ,

(3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियाँ (copies made from or compared with original);

(4) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख (प्रतिरूप, मुसन्ना) (counter parts);

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(5) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तान्त (oral account of contents)।

दृष्टान्त

(क) किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि वह साबित किया गया है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है।

(ख) किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि - यन्त्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है; यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि-यन्त्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी ।

(ग) प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है। से किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयिक साक्ष्य नहीं है यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकल की गई है, मूल से तुलना की हुई थी 38

(घ) न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त और न मूल के किसी फोटोचित्र या यन्त्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयक साक्ष्य है।

परिस्थितियाँ जिनमें कि दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है (Cases in which sxondary evidence may be given) अर्थात् दस्तावेजों का द्वितीयक साक्ष्य कब ग्राह्य है ? – धारा 65 में उन विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। ये अवस्थायें किसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने की पूर्व शर्तें हैं!अतः इनमें से कोई अवस्था विद्यमान रहने पर ही किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है! धारा 65 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में दस्तावेज के अस्तित्व, दशा और अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है—

(1) मूल विरोधी पक्षकार के कब्जे में – मूल दस्तावेज के प्रतिपक्षी के कब्जे में होने पर—इस खंड (क) के अन्तर्गत जब मूल दस्तावेज निम्नलिखित तीन प्रकार के विपक्षियों के कब्जे या शक्ति में हों, तो द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है।

(क) जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को सिद्ध किया जाना है - जब मूल दस्तावेज विरोधी के कब्जे या उस व्यक्ति की शक्ति के अधीन हो जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को सिद्ध किया जाना है। 78 यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज वास्तविक कब्जे में हो। केवल इतना ही पर्याप्त है कि दस्तावेज उसकी शक्ति में हो।

धारा यह नहीं चाहती है कि समस्त मामलों में निश्चित रूप से यह साबित ही कर दिया जाय कि दस्तावेज विपक्षी के कब्जे या शक्ति में है। इतना ही पर्याप्त है यदि सावित कर दिया जाय कि ऐसा "मालूम पड़ता है कि उसकी शक्ति या कब्जे में है!

(3) मूल दस्तावेज के खो जाने, नष्ट हो जाने या पेश नहीं किये जाने पर – मूल खो गया या नष्ट हो गया – खण्ड (ग) (Original lost or destroyed) — जब मूल दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है या जब जो पक्षकार उसकी अन्तर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता हो, किन्तु कुछ कारणवश जिसमें उसका दोष नहीं है, जैसे उसकी लापरवाही या कसूर के बगैर उपयुक्त समय पर दस्तावेज नहीं पेश कर पाता है तो ऐसे मामलों में उसकी अन्तर्वस्तु के लिए द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है।

खोने का सबूत – धारा 65 (ग) का लाभ उठाने के लिए मूल के खोने का विश्वसनीय सबूत होना चाहिये। खोने को पूर्ण रूप से कभी साबित नहीं किया जा सकता है । मूल के खोने का मौखिक साक्ष्य, जिसे कि बहुत सालों से नहीं देखा गया, इस खण्ड की आवश्यकता को तुष्ट करता है । जिस व्यक्ति के कब्जे में मूल दस्तावेज है, यदि वह मर जाता है, तो द्वितीयक साक्ष्य उस दस्तावेज के सम्बन्ध में दिया जा सकता है। यह दिखाना आवश्यक है कि खोये जाने के बाद दस्तावेज की खोज का उचित प्रयास किया गया था।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(4) मूल दस्तावेज को आसानी से स्थानान्तरित नहीं किये जा सकने पर- मूल आसानी से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता-खंड (घ) (Original not easily movable) – जब मूल दस्तावेज ऐसा है कि उसे आसानी से नहीं लाया जा सकता तो ऐसे मामले में उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। अधिक वजन रखने वाले दस्तावेज इसी प्रकृति के होते हैं। इस खण्ड के अन्तर्गत द्वितीयक साक्ष्य असुविधा और अव्यावहारिकता के आधार पर ग्राह्य है। इसीलिए इमारत या दीवाल पर का लेख, स्मारक पर का लेख, इत्यादि को उनकी नकलों या मौखिक अभिसाक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

(5) मूल दस्तावेज के धारा 74 के अन्तर्गत लोक दस्तावेज होने पर - लोक दस्तावेज खंड - (ङ) (Public Document) - जब मूल दस्तावेज एक सरकारी दस्तावेज है और यदि मूल दस्तावेज साक्ष्य - अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत लोक-अभिलेख (public record) हो तो उस दस्तावेज की प्रमाणित नकल उस लोक-अभिलेख को साबित करने के लिए ग्राह्य है । लोक दस्तावेजों के द्वितीयक साक्ष्य की ग्राहयता का कारण उनके हटाने में महान् असुविधा और जोखिम है।

उदाहरण - क और ख के बीच एक आराजी के स्वामित्व के बारे में झगड़ा है। उस आराजी का स्वामित्व बन्दोबस्ती कागजात में अभिलिखित है। कोई भी पक्षकार बन्दोबस्त अभिलेख की प्रमाणित नकल ले सकता है और उसे न्यायालय के सामने दाखिल कर सकता है। इस मामले में नकल बिना मूल को आहूत किये ही साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

लोक-दस्तावेजों को या तो उनको स्वयं न्यायालय में उपस्थित करके अथवा इस खण्ड के अन्तर्गत विहित द्वितीयक साक्ष्य की विधि द्वारा साबित किया जा सकता है। उन्हें मौखिक गवाहों के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता।

(6) विधि द्वारा अनुज्ञात प्रमाणित प्रतिलिपियाँ – खंड (च) (Certified copies permitted by law) – मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना विधि द्वारा अनुज्ञात होने पर जब मूल दस्तावेज ऐसा है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अधिनियम द्वारा स्वीकृत है तो वह प्रमाणित प्रतिलिपि, जो कि द्वितीयक साक्ष्य है, मूल दस्तावेज के मौजूद रहने के बावजूद भी ग्राह्य होती है। इस खण्ड को धारा 76, 78 और 86 के साथ पढ़ना चाहिए।

(7) ऐसी दस्तावेजें जिनकी सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती- खण्ड (छ) – (Documents which cannot be conveniently examined) – मूल दस्तावेज के अनेक लेखाओं से गठित होने पर जब मूल में तमाम अन्य हिसाब या खाते शामिल हैं, जिनका परीक्षण - न्यायालय में आसानी से नहीं हो सकता है और प्रमाणित करने का तथ्य सम्पूर्ण योग का परिणाम है, तो ऐसे परिणाम को उस दस्तावेज के विशेषज्ञों से प्रमाणित कराया जा सकता है। इस खण्ड का उद्देश्य सरकारी समय की बचत करना है।

प्रश्न - सार्वजानिक दस्तावेजों को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से साक्ष्य दिए जा सकते हैं।

उत्तर:- धारा 74. लोक दस्तावेज (Public documents) -निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजें हैं -

(1) वे दस्तावेजें जो---

(i) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी (Sovereign authority) के,

(ii)शासकीय निकायों (official bodies) और अधिकरणों (tribunals) के, तथा

(iii) भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के या किसी विदेश के विभाषी (legislative), ज्यामिक (judicial) तथा कार्यपालक (executive) लोक-आफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं।

(2) किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेजों के लोक-अभिलेख (public recoed)।**दो प्रकार के लोक दस्तावेज**- धारा 74 लोक दस्तावेज को दो श्रेणियों बताती है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) ऐसे दस्तावेज जो प्रभुता सम्पन्न प्राधिकारी के शासकीय निकायों और अधिकरणों के तथा भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के, या किसी देश के विधायी न्यायिक तथा कार्यपालक लॉ आफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में है,

(2) किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख जैसे कम्पनियों के ज्ञापन और अनुच्छेद जो कम्पनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत रहते हैं और इसलिये में लोक दस्तावेज बन जाते हैं।

एक प्राइवेट वक्फ पत्र जो उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत है, लोक दस्तावेज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोक दस्तावेज नहीं है जो बिना डाक्टर को पेश किये मृतक की पहचान को साबित करने के तुला हो सकती। घटना स्थल के नक्शे तथा जाप पर पुलिस अधिकारों द्वारा लेखन को लोक दस्तावेज को कोटि में लिया गया !

धारा 75. प्राइवेट दस्तावेजें- अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट हैं।

टिप्पणी

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेजों को दो वर्गों में बाँट दिया गया है

(1) **प्राइवेट (व्यक्तिगत) दस्तावेजें** (Private Documents)—वे दस्तावेज जो लोक दस्तावेज नहीं है, प्राइवेट दस्तावेज है, उदाहरण के लिये संविदायें, पट्टे, गिरवी विलेख आदि।

(2) **लोक दस्तावेजें (Public Documents सार्वजनिक दस्तावेजें)-** शासकीय, सरकारी सार्वजनिक दस्तावेजें।

लोक दस्तावेजों की परिभाषा धारा 74 में तथा प्राइवेट दस्तावेजों की परिभाषा धारा 75 में दी गई है। धारा 71 से 73 में कैसे न्यायालय में प्राइवेट दस्तावेज को साबित किया जाय, इसके नियम बताये गये हैं तथा

धारा 76 से 78 में कैसे न्यायालय में लोक-दस्तावेज को साबित किया जाए, इसके नियम बताये गये हैं। धारा 74 लोक दस्तावेजों का वर्णन करती है। वे दस्तावेज जो प्रभुता सम्पन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं, अथवा वे दस्तावेज शासकीय निकायों और अधिकरणों कार्यों के अभिलेख के रूप में है, अथवा वे दस्तावेज जो भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के, या किसी विदेश के विधाय न्यायिक अथवा कार्यपालक कार्यों के वर्णन के रूप में हैं, "लोक-दस्तावेज" कहे जाते हैं। इसी प्रकार, किसी राज्य में रखे गये किसी दस्तावेजों के लोक-अभिलेख भी इसी श्रेणी में आते हैं।

लोक दस्तावेजों से अभिप्राय ऐसी दस्तावेजों से है जो लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की जाती हैं एवं एक विशेष अभिरक्षा में रखी जाती हैं। जब तक यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि कोई दस्तावेज किसी लोक-सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के पालन में तैयार की गई है, तब तक उसे लोक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

प्रश्न - मौखिक साक्ष्य को सभी मामलों में सदैव सीधा होना चाहिए ! इस सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या कीजिए ! इस सिद्धांत के अपवादों का भी उल्लेख कीजिए !

धारा 59. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना - दस्तावेजों या [इलेक्ट्रॉनिक - अभिलेखों] की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकेंगे।

मौखिक साक्ष्य (Oral evidence) — मौखिक साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जो साक्षी न्यायालय के समक्ष मुँह द्वारा बोले हुए शब्दों से देता है। सभी साक्ष्य मौखिक होते हैं क्योंकि दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को न्यायालय द्वारा उनकी नोटिस लिये जाने के पूर्व उनकी पहचान मौखिक साक्ष्य द्वारा की जानी चाहिए।

कोई भी तथ्य या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या किसी दस्तावेज द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 59 में कहा गया है कि किसी दस्तावेज या [इलेक्ट्रानिक अभिलेखों] की अन्तर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकते हैं ।

धारा 59 स्पष्ट शब्दों में रचित नहीं है। वास्तव में किन्हीं परिस्थितियों में दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु भी मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है, जबकि उनकी अन्तर्वस्तु धारा 65 के अन्तर्गत द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना अनुज्ञात है। केवल दो ही तरीके किसी तथ्य को साबित करने के प्रतीत होते हैं। एक है घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की गवाही द्वारा, जिसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं और दूसरा है किसी दस्तावेज द्वारा और इसे दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं अर्थात्

(i) मौखिक साक्ष्य; तथा

(ii) दस्तावेजी साक्ष्य ।

मौखिक साक्ष्य की परिभाषा साक्ष्य शब्द की परिभाषा के साथ ही धारा 3 में दी गई है। परिभाषा का प्रथम भाग मौखिक साक्ष्य को परिभाषित करता है, "वे सभी कथनं जिनके जांचाधीन विषयों के सम्बन्ध न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या उसकी अपेक्षा करता है ।

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों की सिद्धि (Proof of fact by oral evidence) – दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक रिकार्ड की अन्तर्वस्तुओं (contents) के अतिरिक्त समस्त तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जाते हैं। यह धारा निर्धारित करती है कि यदि लिखित दस्तावेज विद्यमान हों तो उन्हें अपनी अन्तर्वस्तुओं के सर्वोतम साक्ष्य होने के कारण, पेश करना चाहिये । मान लीजिये क और ख ने यह संविदा (contract) किया कि ख प्रत्येक माह क को 20 मन ऊन देता रहेगा । यह संविदा लिपिबद्ध थी । यदि पक्षकारों में संविदा की शर्तों के बारे में विवाद पैदा हो जाय तो वह केवल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जा सकता है मौखिक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जायेगी। दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिये।

धारा 60. मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिये (Oral evidence must be direct) — मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हों, प्रत्यक्ष (direct) ही होगा, अर्थात्

यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा,

यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना;

यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

यदि वह किसी राय के, या उन आधारों के, जिन पर वह राय धारित (based) है, बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है।

परन्तु विशेषज्ञों (experts) की रायें, जो सामान्यतः विक्रय के लिये प्रस्थापित (offer) की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त हैं, और वे आधार, जिन पर ऐसी रायें धारित हैं, यदि रचयिता मर जाता है, या वह मिल नहीं सकता है, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किये जा सकेंगे :

परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है; तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW